न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस
राजस्व विविध प्रकरण :GCMS No 2022/87
दायरा तिथि : 02.08.2021
आदेश तिथि : 28-6-2022

प्रार्थी :–
अनंत विजयसिंह पुत्र श्री जितेन्द्रसिंहजी जाति राजपुत
निवासी 123 गोल्फ फोर्स जोधपुर तहसील जोधपुर जिला जोधपुर (राज0)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. कंकु पत्नि मोती ....
2. रमेश पुत्र मोतीराम .... प्रतिस्थापित पोकरराम
3. लच्छाराम पुत्र मोतीराम ....
4. सवाराम पुत्र मोतीराम ....
5. हीराराम पुत्र मोतीराम जाति मेघवाल निवासीगण जीवदा तहसील बाली
6. किशनाराम पुत्र राजाराम
7. जोधाराम पुत्र राजाराम
8. भेराराम पुत्र राजाराम
9. रामाराम पुत्र राजाराम जातिगण रेबारी निवासीगण जीवदा
   निवासीगण धणी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012
बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक : 28-6-2022

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित
नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा खातेदारी में धारित की जा रही भूमि ग्राम जीवदा (बाहरी क्षैत्र) पटवार
हल्का, सेणा तहसील बाली के खसरा नंबर 277, 278 रकबा क्रमशः 0.33 हैक्टर, 0.64 हैक्टर किस्म
बारानी सोयम में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी संख्या 01 से 05
की खातेदारी भूमि जीवदा (बाहरी क्षैत्र) के खसरा नंबर 98,99 रकबा क्रमशः 0.28 हैक्टर, 1.15 हैक्टर
किसम बारानी सोयम एवं अप्रार्थी संख्या 06 से 09 की खातेदारी भूमि ग्राम जीवदा (बाहरी क्षैत्र) के
खसरा नंबर 97 रकबा 0.43 हैक्टर किस्म बारानी सोयम मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शे में लाल रंग
से दर्शित ट्रैक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ
राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम,
2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की
अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे
तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के
निर्देश दिये गये। तथा साथ ही हितबद्ध अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाली एवं
भू.अ.निरीक्षक, बिसलुपर ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/1105 दिनांक 19.04.2022 से
निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की:–
यह हैं कि ग्राम जीवदा (बाहरी क्षैत्र) के खसरा नंबर 276 रकबा 0.32 हैक्टर किस्म बारानी सोयम व
खसरा नंबर 277 रकबा 0.33 हैक्टर व खसरा नंबर 278 रकबा 0.64 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की
भूमि प्रार्थी श्री अनंतविजयसिंह पुत्र जितेन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी जोधपुर व ग्राम जीवदा (बाहरी
क्षैत्र) के खसरा नंबर 273 रकबा 0.15 हैक्टर व खसरा नंबर 274 रकबा 0.21 हैक्टर किस्म बारानी
सोयम की भूमि प्रार्थीनी श्रीमति दाकू कंवर पत्नि रूपसिंह जाति राजपुत निवासी सेणा के नाम से
खातेदारी भूमि दर्ज है। खातेदारान् की धारित भूमि में आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त
अन्य कोई विकल्प नहीं है।

2. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार हैं:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	98 99	0.28 हैक्टर 1.15 हैक्टर	बा.सो. बा.सो.	9.15X64=585.60 वर्गमीटर 9.15X9-15=83.72 वर्गमीटर	पोकरराम चौहान पुत्र पुनाराम मेघवाल निवासी भगत की कोठी, जोधपुर
2	97	0.43 हैक्टर	बा.सो.	9.15X9-56=512.40 वर्गमीटर	किशनाराम पुत्र राजाराम वगैरा जाति रेबारी निवासी जीवदा

पेज लगातार.......02

उपखण्ड अधिकारी
बाली जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण :GCMS No 2022/87
अनवान अनंतविजयसिंह बनाम कंकु वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
03	96 279	0.55 हैक्टर 5.40 हैक्टर	बा.सो. गै.मु. भाखर.	9.15X125=1143.75 वर्गमीटर 9.15X152=1390.80 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि

3. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि ग्राम जीवदा (बाहरी क्षैत्र) की डी.एल.सी. दर 83633/—रूपये प्रति हैक्टर है।

4. यह हैं कि प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं हैं एवं न ही अन्य कोई क्षति होगी।

प्रकरण में वर्णित अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या–06 से 09 की ओर से अधिवक्ता श्री विरमदेवसिंह सोनीगरा द्वारा दिनांक 30.03.2022 को वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की ओर से भूमि पोकरलाल अधिशाषी अधिकारी को बेचान करना जाहिर करने से पोकरलाल हितबद्ध पक्ष होने से पक्षकार बनाते हुये नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी पोकरलाल की ओर से भी अधिवक्ता श्री विरमदेवसिंह द्वारा दिनांक 11.05.2022 को वकालतनामा पेश किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री विरमदेवसिंह के माध्यम से निम्नानुसार आपत्तियॉ पेश की गईः–

1. कि अप्रार्थीगण की संयुक्त शामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ग्राम जीवदा (बाहरी क्षैत्र) में खसरा नंबर 97 रकबा 0.4300 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की आई हुई स्थित है। प्रत्येक अप्रार्थीगण के करीबन पौन बीघा भूमि हक, हिस्से में आती हैं। तथा इसी हक, हिस्से की भूमि पर अप्रार्थीगण अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं।

2. कि अप्रार्थीगण की इसी भूमि खसरा नंबर 97 मेंसे प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 273, 274 में जाने हेतु आने जाने के लिए रास्ते की मांग का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार मौके व रेकर्ड की जॉच तहसीलदार बाली से मंगवाई गई, जिसकी पालना में पटवारी हल्का व भू0 अभिलेख निरीक्षक ने मौके व रेकर्ड की जॉच वर्तमान रास्ते व मौके की स्थिति के विपरित अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 97 मेंसे प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने की अनुशंषा व रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई। जबकि वास्तव में प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्ता पीढीयो से खसरा नंबर 94 मेंसे होकर चला आ रहा हैं। वर्तमान में भी रास्ता इसी खसरा नंबर 94 में उपलब्ध हैं। तथा इसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण द्वारा किया जा रहा है। परन्तु मौके व रेकर्ड की गलत रिपोर्ट पेश की गई। विधि अनुसार जब कृषक के आने जाने हेतु मौजुदा में रास्ता उपलब्ध है तो धारा 251(ए) के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वर्तमान में रास्ता मौजुद एवं उपयोग में लिये जाने के बावजुद मौजुदा रास्ता के स्थान पर अप्रार्थीगण की अल्प भूमि मेंसे रास्ता दिये जाने की अनुशंषा की गई है। अतः प्रकरण के न्यायपुर्ण निर्णय के लिये पुनः रिपोर्ट मंगाई जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रस्तुत आपत्ति पर वकील प्रार्थी श्री जगतपालसिंह एवं वकील अप्रार्थी पक्ष श्री विरमदेवसिंह सोनिगरा की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा दलील दी गई कि अप्रार्थी पक्ष द्वारा गलत आपत्ति लगाई गई है, जिस भूमि पर से मौजुदा में रास्ता विकल्प के तौर पर बताया जा रहा है, वह खसरा नंबर 94 की भूमि गै.मु. नाडी है, जिसका स्पष्ट उल्लेखत निरीक्षक भू.अ. बिसलपुर व तहसीलदार, बाली ने अपनी जांच में किया है। अतः आपत्ति खारिज कर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी अनन्त विजयसिंह पुत्र जितेन्द्रसिंह एवं दाकुकंवर को उनकी खातेदारी भूमियो तक पहुँच मार्ग उपलब्ध कराया जावे। वकील अप्रार्थी श्री विरमदेवसिंह ने दलील दी कि भूमि रेकर्ड में भले ही गै.मु. नाडी दर्ज हो, परन्तु आवेदको के खातेदारी में जाने के लिये नाडी की पाल पर पर्याप्त चौडा रास्ता आवागमन के लिये मौजुद है, वही से रास्ता दिया जावे। दोनों पक्षो की दलीलो पर मनन के पश्चात् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि प्रार्थी दाकू कंवर पत्नि रूपसिंह की कृषि भूमि खसरा नंबर 273, 274 एवं प्रार्थी अनन्त विजयसिंह पुत्र जितेन्द्रसिंह की कृषि भूमि खसरा नंबर 276, 277, 278 में आवागमन के लिये वर्तमान में कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। जिसके लिये धारा 251(ए) के तहत रास्ते का आवेदन किया गया है। जिस पर तहसीलदार, बाली द्वारा मौका निरीक्षण के पश्चात् जांच रिपोर्ट भी दिनांक 19.04.2022 को प्रस्तुत की जा चुकी है।

पेज लगातार.......03

उपखण्ड अधिकारी

राजस्व विविध प्रकरण :GCMS No 2022/87

अनवान अनंतविजयसिंह बनाम कंकु वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उक्त रिपोर्ट के सबंध में खसरा नंबर 97 के खातेदारान् द्वारा यह आपत्ति की जा रही है कि उनके पास पहले से बहुत ही कम भूमि है तथा प्रार्थीगण के आने जाने के लिये खसरा नंबर 94 से वर्तमान में रास्ता चालू होते हुये उनकी भूमि से रास्ता दिया जाता है, तो और भूमि कम हो जावेगी। वर्तमान में प्रार्थी खसरा नंबर 94 में मौके पर मौजुद रास्ता से ही आना जाना कर रहे है, अतः खसरा नंबर 94 से ही रास्ता दिया जावे। प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि अप्रार्थी द्वारा जिस भूमि खसरा नंबर 94 पर से मौजुदा में रास्ता बताया जा रहा है, वह भूमि प्रस्तुत रिपोर्ट एवं राजस्व रिकार्ड के अनुसार गै.मु. नाडी है। गै.मु. नाडी किस्म की भूमि धारा 16 टिनेन्सी एक्ट. के तहत प्रतिबंधित भूमि है, जिससे विधि अनुसार रास्ता नहीं दिया जा सकता। यदि मौके पर रास्ता मौजुद है तो इसका उपयोग प्रार्थीगण कर सकते है। जिससे अप्रार्थी पक्ष की आपत्तिया खारिज की जाती है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–8) के परिपत्र क्रमॉकः प. 3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे ग्राम जीवदा (बाहरी क्षैत्र) पटवार हल्का, सेणा तहसील बाली में प्रार्थी श्री अनन्त विजयसिंह पुत्र जितेन्द्रसिंह द्वारा धारित भूमि खसरा नंबर 276, 277, 278 रकबा क्रमशः 0.32 हैक्टर, 0.33 हैक्टर, 0.64 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि एवं प्रार्थीया दाकूकंवर पत्नि रूपसिंह राजपुत की धारित कृषि भूमि ग्राम जीवदा (बाहरी क्षैत्र) पटवार हल्का सेणा के खसरा नंबर 273, 274 रकबा क्रमशः 0.15 हैक्टर, 0.21 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी पोकरराम चौहान पुत्र पुनाराम मेघवाल की खातेदारी भूमि **ग्राम जीवदा (बाहरी क्षैत्र) पटवार हल्का सेणा** के खसरा नंबर 98, 99 मेसे 585.2 वर्गमीटर एवं अप्रार्थी किशनाराम पुत्र राजाराम वगैरा रेबारी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 97 मेंसे 448 वर्गमीटर एवं राजकीय सिवायक भूमि खसरा नंबर 96 व 97 मेंसे 2216 वर्गमीटर तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांकः 2022/1105 दिनांक 19.04.2022 के संलग्न मौका नक्शा में वर्णित ट्रैक से 8 मीटर चौडाई में **1033.2 वर्गमीटर निजी खातेदारी भूमि से एवं 2216 वर्गमीटर राजकीय भूमि मेंसे** तहसीलदार, बाली एवं निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार नया मार्ग **रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत निजी खातेदारो एवं राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता करावे। प्रतिकर राशि निम्नानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा **हैक्टर में**	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 83633/– प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
98 99	0.28 हैक्टर 1.15 हैक्टर	8X64=512 वर्गमीटर 8X9.15=73.2 व.मी.	8.36	4280X2=8560 612X2=1224	पोकरराम चौहान पुत्र पुनाराम मेघवाल निवासी भगत की कोठी, जोधपुर
97	0.43 हैक्टर	8X56=448 वर्गमीटर	8.36	3745X2=7490	किशनाराम पुत्र राजाराम वगैरा जाति रेबारी निवासी जीवदा
96 279	0.55 हैक्टर 5.40 हैक्टर	8X125=1000 वर्गमीटर 8X152=1216 वर्गमीटर	8.36	8360X2=16720 10166X2=20332	राजकीय सिवाय चक भूमि

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **17274/– (अक्षरे सत्रह हजार दो सौ चौबीस रूपये मात्र)** आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण को अदा की जायेगी। एवं 37052/–**(अक्षरे सैतीस हजार बावन रूपये मात्र)** अप्रार्थीगण द्वारा राशि नहीं लिये जाने की दशा में अप्रार्थीगण को देय प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा कराई जावेगी। तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला पाली

Scanned with CamScanner

//04//

राजस्व विविध प्रकरण :GCMS No 2022/87

अनवान अनंतविजयसिंह बनाम कंकु वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

दिनांक 28-6-22

कमॉक/कोर्ट(रास्ता)/2022/2230-34

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ/ सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3. पटवारी हल्का, सेणा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील कार्यालय ,बाली
5. आवेदक अनन्तविजयसिंह पुत्र जितेन्द्रसिंह राजपुत नि. जोधपुर एवं दाकुकंवर पत्नि रूपसिंह जाति राजपुत निवासी जीवदा को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)